पत्रांक-वि०(27) पें. को.-116/08-1638

बिहार सरकार,
वित्त विभाग।

प्रेषक,

नवीन कुमार,

प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

सभी आरक्षी अधीक्षक

संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन, सामान्य भविष्य निधि, निदेशालय।

पटना, दिनांक-30 दिसम्बर, 2008

विषय : सेवानिवृति के पश्चात् सेवान्त लाभों के त्वरित भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि राज्य सरकार के सेवा निवृत कर्मियों के सेवान्त लाभों के ससमय भुगतान नहीं होने के कारण न्यायालयों में काफी संख्या में मामले दायर किये जाते हैं। इन सेवानत लाभों का भुगतान शीघ्रतापूर्वक करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर काई संकल्प/परिपत्र/पत्र निर्गत किये गये हैं। सेवान्त लाभों के विलम्बित भुगतान की समस्या के निवारण हेतु राज्य सरकार की ओर से निर्गत दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक है।

उपर्युक्त संदर्भ में आपका ध्यान मुख्य सचिव के पत्र संख्या 5322 वि0 दिनांक 23.05.1974 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके पेंशन मामलों के शीघ्र निस्तार हेतु आवश्यक निदेश निर्गत किया गया है। इसके पश्चात् पुनः मुख्य सचिव का पत्रांक 8042 वि.(पें.) दिनांक 30.08.1999 तथा पत्रांक 3089 दिनसंक 23.08.2004 निर्गत किया गया है।

ऐसी स्थिति में सेवान्त लाभों, जिसमें सामान्य भविष्य निधि की राशि, प्रोन्नति के फलस्वरूप देय राशि, कालबद्ध प्रान्नति के फलस्वरूप देय राशि, ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश के बदले समतुल्य राशि, सामूहिक ग्रुप बीमा की राशि तथा दण्ड स्वरूप रोक रखी गयी पेंशन की राशि सम्मिलित है, के भुगतान हेतु निम्नांकित निर्देश पुनः दोहराये जा रहे हैं :

1. सभी नियंत्री पदाधिकारी बिहार पेंशन नियमावली, 1950 की धारा 189 का पालन करेंगे जिसके आलोक में वे सभी सेवानिवृत होने वाले कर्मियों का पेंशन प्रपत्र उक्त कर्मी के सेवानिवृति के 18 माह पूर्व ही प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

2. महालेखाकर को ऐसे प्रपत्र ससमय (सेवानिवृति के छः माह पूर्व) भेजे जायें जिससे महालेखाकर के स्तर

में इसकी स्वीकृति में विलम्ब नहीं हो।

3. अराजपत्रित कर्मियों के मामलों में यदि सेवानिवृत होने वाले कर्मी द्वारा पेंशन प्रपत्र ससमय समर्पित नहीं किया जाता है तो वैसे कर्मी के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3014 वि. दिनांक 31.07.1980 के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाय।

4. सेवान्त लाभों के भुगतान के मामले में जहाँ विलम्ब होता है, वहाँ इसके लिए जिम्मेदार कर्मियों को चिन्हित कर उन्हें दण्डित किया जाय।

5. सेवान्त लाभों के भुगतान के मामले में जहाँ Penal Interest का भुगतान किया जाता है, वहाँ विलम्ब के लिये दोषी कर्मियों से ही इसकी वसूली की जाय।

प्रत्येक विभागाध्यक्ष/नियंत्री पदाधिकारी अपने अपने कार्यालय में ऐसे मामलों की समीक्षा नियमित अन्तराल पर आवश्यक रूप से करें एवं ऐसे मामलों के निस्तार हेतु आवश्यक कदम उठाने की कार्रवाई करें।

विश्वासभाजन
(नवीन कुमार)
प्रधान सचिव